राजकीय महाविद्यालय दौलतपुर चौंक, तहसील अम्ब, जिला ऊना के निधि लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 14.9.2006 से 3/2013

1 **प्रारम्भिकः–**

(i) शिक्षा विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या ई0डी0एन0–ए–छा(15)–1/2006 दिनाँक 14.9.2006 द्वारा राजकीय महाविद्यालय दौलतपुर चौंक को तुरन्त प्रभाव से अपने नियन्त्रण में लिया गया है। पूर्व में यह महाविद्यालय डी0ए0बी0 कॉलेज के नाम से निजि प्रबन्धन द्वारा चलाया जा रहा था। कला संकाय के निधि लेखाओं का प्रथम अंकेक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिए गए हैं, सर्वश्री जितेन्द्र सिंह अनुभाग अधिकारी (ले0प0) तथा संजीव कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनाँक 25.02.2014 से 02.04.2014 के दौरान दौलतपुर चौक में किया गया है।

आय की विस्तृत जाँच हेतु मास 11/2006, 8/2007, 8/2008, 7/2009, 6/2010, 6/2011, 6/2012, तथा व्यय की विस्तृत जाँच हेतु मास 10/2006, 1/2009, 9/2009, 3/2011, 12/2011, 11/2012 चयनित किए गए।

"वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन महाविद्यालय के प्रधानाचार्य/नियन्त्रण अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। महाविद्यालय द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत सूचना अथवा सूचना प्रदान न करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

(ii) अंकेक्षण अवधि के दौरान महाविद्यालय में निम्नलिखित आहरण एवं वितरण अधिकारी कार्यरत रहेः–

क्र0सं0	आहरण एवं वितरण अधिकारी का नाम	अवधि
1	डा0 रण सिंह चौधरी	17.1.2007 से 4.4.2008
2	डा0 सतीश कंवर	5.4.2008 से 22.4.2008
3	डा0 रण सिंह चौधरी	23.4.2008 से 5.7.2008
4	डा0 सतीश कंवर	6.7.2008 से 31.3.2012

5	श्री अजय सहगल	1.4.2012 से 30.7.2012
6	डा0 दलीप कुमार शर्मा	31.7.2012 से 31.3.2013

(iii) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्र0सं0	पैरा संख्या	विवरण	₹ लाखों में
1	4	छात्रों से निधियों की राशि की वसूली न करना	1.24
2	5	छात्रों से निधियों की राशि की कम वसूली करना	0.16
3	7	पुस्तकालय से जारी की गई पुस्तकों को समय पर वापिस न करने के कारण दण्ड निधि की राशि की वसूली न करना	0.10
4	8	टयूशन शुल्क की राशि को राजकोष में जमा न करना	0.57
5	9	विभिन्न निधियों से जारी की गई अग्रिम राशि का समायोजन हेतु शेष पाया जाना	1.86
6	10	मिश्रित निधि से बिजली, दूरभाष तथा पानी के बिलों हेतु भुगतान की गई राशि में राशि का प्रतिपूर्ति/वसूली हेतु शेष पाया जाना	2.32
7	11	मिश्रित निधि से राशि का अनियमित प्रकार से व्यय करना	0.68
8	14	प्रोस्पैक्टस की बिक्री की राशि को मिश्रित निधि में जमा न करवाना	0.60
9	18	मैगजीन निधि से राशि का अधिक भुगतान करना	0.71
10	19	पुस्तकालय प्रतिभूति निधि से अनियमित भुगतान करना	1.10
11	20	गृह परीक्षा निधि से अनियमित भुगतान	0.37
12	21	विभिन्न निधियों से अनियमित व्यय करना	0.85
13	22	"Boys Funds" से अनियमित रूप से व्यय करना	10.21

2 अंकेक्षण शुल्कः–

राजकीय महाविद्यालय दौलतपुर चौंक के अवधि 14.9.2006 से 31.3.2013 के निधि लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क निम्नविवरणानुसार ₹49000 बनता है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को रेखाकितं बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेजने हेतु अनुभाग अधिकारी के पत्र संख्या 67/2014 दिनाँक 2.4.2014 द्वारा प्रधानाचार्य से आग्रह किया गया है।

वर्ष	निधि लेखों से आय	अंकेक्षण शुल्क
2006–07	277849	7000
2007–08	294898	7000
2008–09	298761	7000
2009–10	583427	7000
2010–11	908055	7000
2011–12	935497	7000
2012–13	937028	7000
	योग	**₹49000**

3 वित्तीय स्थितिः–

(i) राजकीय महाविद्यालय दौलतपुर चौंक के अवधि 14.9.2006 से 31.3.2013 के निधि लेखों की वित्तीय स्थिति का विवरण **परिशिष्ट "क" तथा परिशिष्ट "ख"** पर दिया गया है

(ii) महाविद्यालय द्वारा दिनाँक 14.9.06 के प्रारम्भिक शेष को Boys Funds तथा Campus Development Fund में लिया गया है तथा वर्ष 2006–07 के दौरान छात्रों से वसूली गई समस्त निधियों का रख रखाव भी Boys Funds तथा Campus Development Fund में किया गया है। "Boys Funds" तथा "Campus Development Fund" की 14.9.2006 से 31.3.2013 की वित्तीय स्थिति का विवरण **परिशिष्ट "क"** पर संलग्न है। वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनाँक 31.3.13 को "Boys Fund" में ₹303094/– तथा Campus Development Fund में ₹73103/–शेष थी जिसे शिक्षा निदेशालय के परामर्श अनुसार महाविद्यालय की सम्बन्धित निधियों में हस्तांतरित किया जाए तथा क्योंकि महाविद्यालय द्वारा वर्ष 2007–08 में अन्य निधियों की वित्तीय स्थिति का अलग से रख रखाव किया जा रहा है।

(iii) महाविद्यालय द्वारा अवधि 4/2007 से 31.3.2013 के दौरान छात्रों से वसूली गई अन्य समस्त निधियों की वित्तीय स्थिति का विवरण **परिशिष्ट "ख"** पर संलग्न है।

(iv) राजकीय महाविद्यालय दौलतपुर चौंक द्वारा अवधि 9/2006 से 5/2008 तक निधियों की रोकड़ बही का रख रखाव नहीं किया गया था अपितु महाविद्यालय द्वारा वित्तीय स्थिति हेतु आय के लिए आंकड़े फीस संग्रहण रजिस्टर (Fee Collection Register) तथा व्यय के लिए आंकड बैंक पास बुक से लिए गए है। अतः उक्त अवधि के दौरान रोकड़ बही का रख रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस प्रकरण में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(v) बैंक समाधान विवरणीः– अवधि 4/2007 से 31.3.2013 के दौरान छात्रों से वसूल की गई निधियों की राशियों से सम्बन्धित रोकड़ बही तथा बैंक में जमा राशियों में निम्नविवरणानुसार अन्तर पाया गया। अतः अन्तर की राशियों का महाविद्यालय स्त्तर पर मिलान करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(क) मिश्रित निधिः–

मिश्रित निधि की रोकड़ बही तथा बैंक जमाओं में ₹240 का अन्तर था। फीस संग्रहण रजिस्टर के अनुसार वर्ष 2007–08 में मिश्रित निधि में ₹155040 प्राप्त की गई थी तथा बैंक में ₹154800/– जमा करवाई गई। इस प्रकार बैंक में ₹240 कम जमा करवाई गई जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

(ख) मैगजीन निधिः–

मैगजीन निधि की बैंक जमा तथा रोकड़ बही में दिनाँक 31.3.2013 को ₹25 का अन्तर था। वर्ष 2007–08 में फीस संग्रहण रजिस्टर के अनुसार छात्रों से ₹16150/– की वसूली गई थी परन्तु बैंक में ₹16125 जमा करवाई गई है। इस प्रकार बैंक में ₹25/– कम जमा करवाई गई जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके निधि में जमा करवाई जाना सुनिश्चित की जाए।

(ग) गृह परीक्षा निधिः–

गृह परीक्षा निधि की बैंक जमा तथा रोकड़ बही में दिनाँक 31.3.2013 को ₹550 का अन्तर था। फीस संग्रहण रजिस्टर के अनुसार वर्ष 2007–08 में छात्रों से ₹26135/– की वसूली की गई थी परन्तु बैंक में ₹25585 जमा करवाई गई हैं। इस प्रकार बैंक में ₹550/– कम जमा करवाई गई हैं जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

(घ) एन0सी0सी0 निधिः–

एन0सी0सी0 निधि की बैंक जमा तथा रोकड़ बही में दिनाँक 31.3.2013 को ₹1200 का अन्तर था। महाविद्यालय द्वारा ₹1200/– का चैक संख्या 207069 दिनाँक 30.3.2013 को जारी किया गया था जिसे भुगतान हेतु बैंक में दिनाँक 2.4.2013 को प्रस्तुत किया गया।

(ङ) पुस्तकालय प्रतिभूति निधिः–

पुस्तकालय प्रतिभूति निधि की बैंक जमा तथा रोकड़ बही में दिनाँक 31.3.2013 को ₹500 का अन्तर था। महाविद्यालय द्वारा ₹500 का चैक संख्या 207090 दिनाँक 15.10.2011 को जारी किया गया था जिसे दिनाँक 31.3.2013 तक बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त ₹100 का चैक संख्या 207081 दिनाँक 30.8.2008 को भुगतान हेतु जारी किया गया था जिसे दिनाँक 31.3.2013 तक बैंक में प्रस्तुत नहीं किया गया। नियमानुसार चैक की भुगतान अवधि तीन मास ही होती है। अतः इन चैकों के बारे में नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उपरोक्त के अतिरिक्त वर्ष 2007–08 में फीस संग्रहण रजिस्टर के अनुसार छात्रों से पुस्तकालय प्रतिभूति निधि की ₹64600/– वसूली गई थी परन्तु बैक में ₹64500 जमा करवाई गई। इस प्रकार बैंक में ₹100 कम जमा करवाए गई। अतः उक्त वर्णित ₹100 की वसूली उचित स्त्रोत से करके राशि निधि में जमा करवाई जाए।

(च) छात्र कल्याण निधिः–

छात्र कल्याण निधि की रोकड़ बही तथा बैंक जमा में दिनाँक 31.3.2013 को ₹205 का अन्तर था। वर्ष 2009–10 में ₹4638 (₹4301 आय+ ₹337 ब्याज) के रूप में प्राप्त की गई थी परन्तु बैंक में ₹4433 (4096 आय + ₹337 ब्याज) जमा करवाई गई। इस प्रकार बैंक में ₹205 कम जमा करवाई गई। अतः ₹205 की वसूली उचित स्त्रोत से करके राशि निधि में जमा करवाई जाए।

(छ) कैम्पस डवलपमैन्ट निधिः–

कैम्पस डवलपमैन्ट निधि की रोकड़ बही तथा बैंक जमा में दिनाँक 31.3.2013 ₹10 का अन्तर था। वर्ष 2007–2008 में छात्रो से ₹6460 की वसूली की गई थी परन्तु बैंक में ₹6450 जमा करवाई गई। इस प्रकार बैंक में ₹10 कम जमा करवाई गई जिसकी उचित स्त्रोत से वसूली करके यह राशि निधि में जमा करवाई जाए।

(ज) बुक रिपलेसमैनट निधिः–

बुक रिपलेसमैन्ट निधि की रोकड़ बही तथा बैंक जमा में दिनाँक 31.3.2013 ₹25 का अन्तर था। फीस संग्रहण रजिस्टर के अनुसार वर्ष 2007–08 में छात्रों से ₹16150 की वसूली की गई थी परन्तु बैंक में ₹16125 जमा करवाई गई थी। इस प्रकार बैंक में ₹25 कम जमा करवाई गई। अतः ₹25 की वसूली करके राशि निधि में जमा करवाई जाए।

(झ) फर्नीचर रिपेयर निधिः–

फर्नीचर रिपेयर निधि की बैंक जमा तथा रोकड़ बही में दिनाँक 31.3.2013 को ₹10 का अन्तर था। वर्ष 2007–08 में छात्रों से ₹6460 की वसूली की गई थी परन्तु बैंक में ₹6450 जमा करवाई गई। अतः कम जमा करवाई गई ₹10 की वसूली उचित स्त्रोत से करके यह राशि निधि में जमा करवाई जाए।

(ञ) रोबर एण्ड रैन्जर निधिः–

रोबर एण्ड रैन्जर निधि की बैंक जमा तथा रोकड़ बही में दिनाँक 31.3.2013 को ₹715 का अन्तर था। फीस संग्रहण रजिस्टर के अनुसार वर्ष 2007–08 में छात्रों से ₹38760 वसूल की गई थी परन्तु बैंक में ₹38700 ही जमा करवाई गई। इस प्रकार बैंक में ₹60/– कम जमा करवाई गई जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके राशि निधि में जमा करवाई जाए। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय द्वारा ₹575 का चैक संख्या 207247 दिनाँक 7.10.2011 को तथा ₹200 का चैक संख्या 207248 दिनाँक 30.11.2011 को जारी किया गया जोकि दिनाँक 31.3.2013 तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। नियमानुसार चैक की भुगतान अवधि तीन मास ही होती है। अतः इन चैकों के बारे में नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

(ट) अनुपस्थिति दण्ड निधिः–

अनुपस्थिति दण्ड निधि की रोकड़ बही तथा बैंक जमा में ₹920 का अन्तर था। महाविद्यालय ₹920 का चैक संख्या 254813 दिनाँक 31.3.2013 जारी किया गया जोकि 31.3.2013 तक बैंक में प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ठ) खेलकूद निधिः–

खेलकूद निधि रोकड़ बही तथा बैंक जमा में ₹600 का अन्तर था। महाविद्यालय द्वारा चैक संख्या 145863 दिनाँक 16.11.2011 द्वारा बैंक से ₹600 आहरित की गई है परन्तु आहरित की गई राशि को रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया है। अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवई अमल में लाई जाए।

(vi) शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या छ (15) 3/86 शिक्षा–क दिनाँक 25.8.1994 की शर्तों एवं निबन्धन के पैरा 4 के अनुसार "The Amalgamated fund and fees etc. and other college funds shall be transgerred to the Education Department. Any advance drawn on loan basis from the college funds will have to be recouped by the management before the college is taken

over the government." हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दिनाँक 14.9.2006 से राजकीय महाविद्यालय दौलतपुर चौंक को अपने नियन्त्रण में लिया गया है तथा अनुभाग अधिकारी के आडिट मैमों संख्या 29/2014 दिनाँक 5.3.2014 के सन्दर्भ में प्रधानाचार्य द्वारा पत्र संख्या 3696 दिनाँक 12.3.2014 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनाँक 13.9.2006 को महाविद्यालय में निम्नानुसार निधियों में राशियाँ जमा थी जोकि शिक्षा विभाग की उपरोक्त वर्णित अधिसूचना के अनुसार शिक्षा विभाग के पक्ष में हस्तांतरित की जानी अपेक्षित थी परन्तु उक्त निधियों के बारे में अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है जिसे निदेशालय शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के ध्यान में विशेष रूप से कार्रवाई के लिए लाया जाता है क्योंकि इन निधियों का रख रखाव अभी भी "स्वयं वित्तीय प्रबन्धन " के अन्तर्गत ही किया जा रहा है।

क्र0 सं0	निधि का नाम	खाता सं0	बैंक का नाम	राशि
1	Boys Fund	01-SBLB	काँगड़ा सैन्ट्रल को ओप्रेटिव बैंक दौलतपुर चौंक	953174
2	UGC Fund	02-SBLB	–यथोपरि–	627135
3	MC Fund	03-SBLB	–यथोपरि–	3251
4	Scholarship Fund	04-SBLB	–यथोपरि–	13550
5	NSS Fund	67-SBLB	–यथोपरि–	17603
6	Development Account	SB-55096363770	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला दौलतपुर चौंक	42914.89
7	PLA Account	Sub Treasury Amb	–	899337

उक्त के अतिरिक्त प्रधानाचार्य द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार सावधि जमाओं में निम्नानुसार राशि जमा थीः–

क्र0सं0	सावधि संख्या	दिनाँक	निवेशित राशि	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता राशि	बैंक का नाम
1	55096462375	30.10.1999	243275	30.10.2014	1001673	एस0बी0पी0 दौलतपुर चौंक
2	55096456532	7.7.2005	185368	7.7.2015	357599	–यथोपरि–
3	55096499871	17.7.2003	150000	17.7.2018	477747	–यथोपरि–

4	540615	4.1.1999	179438	–	–	–यथोपरि–
5	55096499826	1.7.2005	300000	1.7.2015	578753	–यथोपरि–
6	65113113957	5.4.2011	9329	16.4.2015	13499	–यथोपरि–
7	65113116313	20.10.2012	5081	26.10.2015	6588	–यथोपरि–
8	6511311623	26.10.2012	4026	26.10.2015	5220	–यथोपरि–
9	65113116812	26.10.2012	18224	26.10.2015	23627	–यथोपरि–
10	65113118730	26.10.2012	7959	26.10.2015	10319	–यथोपरि–

क्रम संख्या 4 पर दर्शाई गई सावधि जमा के बारे में प्रधानाचार्य द्वारा सूचित किया है कि यह सावधि जमा महाविद्यालय में उपलब्ध नहीं है तथा उन्होंने अंकेक्षण को अवगत करवाया कि स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के पत्र के अनुसार सावधि जमा संख्या 65077828668 रजिस्ट्रार एच0पी0 यूनिवर्सिटी के नाम है तथा अवधि 4.1.2013 से 5.1.2016 तक ₹569971 निवेशित है। अतः इस सन्दर्भ महाविद्यालय तथा शिक्षा विभाग के स्तर पर आन्तरिक जाँच करके वस्तुस्थिति में इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

4 छात्रों से निधियों की ₹124380/– की वसूली न करने बारेः–

निदेशक (उच्चत्तर) शिक्षा हिमालच प्रदेश के पत्र संख्या ई0डी0एन0–एच (8) 3 (7)–1/76–6 दिनाँक 21.6.1999 द्वारा छात्रों से निर्धारित दरों के आधार पर निधियों की वसूली न करने के कारण महाविद्यालय द्वारा निम्नविवरणानुसार निधियों की ₹124380/– वसूली नहीं गई है। इस बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण अवगत करवाने बारे प्रधानाचार्य से अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 40/2014 दिनाँक 14.3.2014 द्वारा भी अनुरोध किया गया परन्तु प्रधानाचार्य द्वारा इस बारे कोई भी सूचना अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः इस प्रकरण में वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा ₹124380 की वसूली उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित निधियों जमा करवाई जाए।

वर्ष	निधि का नाम	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	अन्तर
2006–07	पुस्तकालय प्रतिभूति	36600	18300	18300
	बुक रिपलेसमैन्ट	20500	–	20500
	फर्नीचर रिपेयर	8200	–	8200
2006–07 से 2009–10	रोबर एण्ड रैन्जर	49200	–	49200
2006–07 से 2009–10	कल्चरल एक्टिविटी	28100	–	28180
			योग	**₹124380**

5 छात्रों से निधियों की ₹16081/– की कम वसूली करनाः–

निदेशक शिक्षा (उच्चत्तर) हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्याः ई0डी0एन0–एच(8) 3 (7)–1/76–6 दिनाँक 21.6.1999 तथा पत्र संख्या ई0डी0एन0 ख (8) 1/2001 दिनाँक 1.6.2010 द्वारा छात्रों से निर्धारित दरों के आधार पर निधियों की वसूली की जानी थी परन्तु छात्रों से निम्नानुसार निधियों की ₹16081/– की कम वसूली की गई। इस बारे में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 61/2014 दिनाँक 27.3.2014 द्वारा भी प्रधानाचार्य से वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने बारे अनुरोध किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक प्रधानाचार्य द्वारा कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई। अतः ₹ 16081 की वसूली उचित स्त्रोत से करके यह राशि सम्बन्धित निधियों में जमा करवाई जाए।

वर्ष	निधि का नाम	छात्रों की संख्या	दर	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	अन्तर
2009–10	मिश्रित निधि	702	240 (वार्षिक)	168480	168240	240
	पहचान पत्र	702	10	7020	6920	100
	मिश्रित निधि	650	240 (वार्षिक)	156000	151920	4080
	मैगजीन निधि	650	25	16250	15825	425
	स्टूडैन्ट एंड	650	2	1300	1266	34
	हैल्थ निधि	650	6	3900	3798	102
2010–11	कम्पयूटर प्रैक्टिकल (मैथस बी0ए0 I से III)	56	180 (वार्षिक)	10080	1260	8820
2011–12	म्यूजिक निधि	17	180 (वार्षिक)	3060	2040	1020
2012–13			180 (वार्षिक)	3780	2520	1260
					योग	**₹16081**

6 गृह परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले छात्रों से अनुपस्थिति दण्ड निधि की ₹7680 की वसूली न करने बारेः–

निदेशक शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या ई0डी0एन–एच(8) 3(7)–1/76–6 दिनाँक 17.6.1999 तथा पत्र संख्या ई0डी0एन0 (ख) (8) 1/2001 दिनाँक 1.6.2010 द्वारा गृह परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले छात्रों से ₹10 प्रति पेपर की दर से अनुपस्थिति दण्ड निधि की

वसूली की जानी अपेक्षित थी। इस सन्दर्भ में राजकीय महाविद्यालय दौलतपुर चौंक द्वारा **परिशिष्ट "ग"** पर दिए गए विवरण के अनुसार गृह परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले छात्रों की सूची तो उपलब्ध करवाई गई है परन्तु इन छात्रों से अनुपस्थिति दण्ड निधि की वसूली नहीं की गई थी। अतः **परिशिष्ट "ग"** पर उपलब्ध करवाई गई सूची के अनुसार निम्नविवरणानुसार अनुपस्थिति दण्ड निधि की ₹7680/– की वसूली करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

वर्ष	BAI	BAII	BAIII	कुल अनुपस्थिति संख्या	वसूली दर	राशि
2007–08	51	55	22	161	10	1610
2008–09	89	57	26	172	10	1720
2009–10	47	24	15	86	10	860
2010–11	45	69	12	126	10	1260
2011–12	47	67	9	123	10	1230
2012–13	48	42	10	100	10	1000
					योग	**₹7680**

7 पुस्तकालय से जारी की गई पुस्तकों को समय पर वापिस न करने के कारण दण्ड निधि की ₹10189/– की वसूली न करने बारेः–

निदेशक शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या ई0डी0एन0एच (8) 3 (7) 1/76–6 दिनाँक 17.6.1999 तथा पत्र संख्य्य ई0डी0एन0 ए (ख) (8) 1/2001 दिनाँक 1.6.2010 के अनुसार, छात्रों को पुस्तकालय से जारी की गई पुस्तकों को छात्रों द्वारा समय पर वापिस न करने पर दण्ड निधि की प्रति पुस्तक प्रति दिन ₹1 की दर से वसूली जानी वाँछित थी। इस सन्दर्भ में राजकीय महाविद्यालय दौलतपुर चौंक द्वारा **परिशिष्ट "घ"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार छात्रों को पुस्तकालय से जारी की गई पुस्तकों को समय पर न लौटाने पर भी निम्नविवरणानुसार दण्ड निधि की वसूली ₹10189/– नहीं की गई थी जिसे उचित स्त्रोत से वसूल करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

वर्ष	दण्ड निधि की राशि
2006–07	196
2007–08	82
2008–09	139

2009—10	700
2010—11	624
2011—12	4844
2012—13	3604
योग	**₹10189**

8 टयूशन शुल्क की ₹57490/— को राजकोष में जमा न करने बारेः—

राजकीय महाविद्यालय दौलतपुर चौंक द्वारा अवधि 9/06 से 3/13 के दौरान निम्नविवरणानुसार टयूशन फीस रिएडमिशन फीस तथा लेट एडमिशन फीस की ₹119390/— वसूली गई जिसमें से ₹61900 चालान द्वारा राजकोष में जमा करवा दी गई थी तथा शेष ₹57490 राजकोष में जमा नहीं करवाई गई। इस बारे वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु प्रधानाचार्य से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 30/2014 दिनाँक 6.3.2014 द्वारा अनुरोध किया गया परन्तु इस सन्दर्भ में प्रधानाचार्य द्वारा कोई भी सूचना अंकेक्षण दल को प्रस्तुत नहीं की गई। अतः संस्था स्तर पर आन्तरिक जाँच करके वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा टयूशन फीस, रिएडमिशन फीस तथा लेट एडमिशन फीस की शेष ₹57490/— को चालान द्वारा राजकोष में शीध्र जमा करवाया जाए।

वर्ष	फीस वसूली गई	राजकोष में जमा	कम जमा	अधिक जमा	अन्तर
2006—07	464325	348295	116030	—	—
2007—08	86610	143410	—	56800	—
2008—09	119145	124245	—	5100	—
2009—10	121340	120840	500	—	—
2010—11	101170	99370	1800	—	—
2011—12	169920	169910	10	—	—
2012—13	146730	145680	1050	—	—
		योग	**119390**	**61900**	**57490**

9 विभिन्न निधियों से जारी की गई अग्रिम ₹186140 का समायोजन हेतु शेष पाया जानाः—

राजकीय महाविद्यालय दौलतपुर चौंक द्वारा विभिन्न निधियों से जारी की गई अग्रिम राशियों का दिनाँक 31.3.2013 तक समायोजन नहीं किया गया था। इस बारे प्रधानाचार्य से अंकेक्षण

अधियाचना संख्या 57/2014 दिनाँक 26.03.2014 द्वारा सूचना उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया गया तथा महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के दिनाँक 31.3.2013 तक निम्नानुसार ₹186140 समायोजन हेतु शेष थी जिसका समायोजन शीध्र करके अनुपालना से इस विभाग को शीध्र अवगत करवाया जाए।

मिश्रित निधिः–

एन0एस0एस0 के लिए जारी अग्रिम

वा0सं0	**मास**	**नाम**	**राशि**	**वापिस की गई राशि/ दिनाँक**	**शेष (31.3.13)**
45	8/2010	श्रीमती कृष्णा मैहता	10000		
77	11/2010		5000		
86	1/2011		20000		
88	1/2011		20000		
30	7/2011		15000		
53	10/2011		15000		
66	12/2011		20000		
69	12/2011		45000	72000/30.3.2012	–
54	12/2012	श्री अजय कुमार	24057		
58	12/2012		45000		
60	1/2013		10800		
71	1/2013		1140		
		योग	**230997**	**72000**	**158997**

खेलकूद गतिविधियों के लिए जारी अग्रिम

73	11/2009	श्री आर0एस0 ठाकुर	1000	–	1000
		योग	**1000**	**–**	**1000**

यात्रा भत्ता अग्रिम राशि

106	3/2010	श्री सुमेश कुमार लिपिक	1000	–	1000
49	8/2010	श्री तिलक राज लिपिक	1000	–	1000
62	9/2010	श्री रणदीप सिंह लिपिक	600	–	600
63	9/2010	श्री नरेन्द्र लिपिक	1000	–	1000
		योग	**3600**	**–**	**3600**

विविध अग्रिम

वा0सं0 — मास	नाम	उद्देश्य	राशि	दिनाँक जिस दिन समायोजन किया गया है	समायोजित/वापिस की गई राशि	शेष
77— 2/09	श्री प्रिंस लिपिक	For Govt. Stationary form Ghora Chowki	2000	10.2.2009	1850	150
		(₹1850 निधि में जमा करवाए गए परन्तु ₹150 अभी जमा करवाए जाने शेष है।)				
67— 11/09	श्री नरेन्द्र लिपिक	दूरभाष के बिल	8000	17.11.09	427	7573
7— 5/11	श्री रोबिन लिपिक	रजिस्ट्रेशन फार्म	2500	—	—	2500
		योग	**12500**	**—**	**2277**	**10223**

गृह परीक्षा निधि से जारी अग्रिम राशि

वा0सं0— मास	नाम	उद्देश्य	राशि	टिप्पणी
88 —7/10	श्री प्रिंस लिपिक	पोस्ट ग्रेजुऐट परीक्षा	1794	पोस्ट ग्रेजुऐट कक्षाएं स्वयं वित्तीय प्रबन्धन से चलाई जा रही है
20 — 2/12	श्री प्रिंस लिपिक	—यथोपरि—	526	
14 —3/13	श्री प्रिंस लिपिक	अण्ड ग्रजुएंट परीक्षा	10000	
			12320	

दिनाँक 31.3.2013 तक समायोजन हेतु शेष बची अग्रिम राशियों का विवरणः—

मिश्रित निधि में दी गई शेष अग्रिम राशियों का विवरण

निधि का नाम	राशि	
एन0एस0एस0	158997	
खेलकूद गतिविधि	1000	
यात्रा भत्ता दावा	3600	
विविध अग्रिम	10223	**₹173820**
गृह परीक्षा निधि		**₹12320**
कुल योग		**₹186140**

10 मिश्रित निधि से बिजली, दूरभाष तथा पानी के बिलों हेतु भुगतान की गई राशि में ₹232450/– का प्रतिपूर्ति/वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

मिश्रित निधि के भुगतानों की जाँच करने पर पाया गया महाविद्यालय द्वारा **परिशिष्ट "ङ"** पर दिए गए विवरण के अनुसार बिजली, दूरभाष तथा पानी के बिलों की ₹290764 का भुगतान किया गया था। भुगतान की गई राशि में से ₹58314 वापिस मिश्रित निधि में जमा करवा दी गई तथा शेष ₹232450 (₹290764–₹58314) निधि में जमा नहीं करवाई गई है। इस बारे प्रधानाचार्य से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 58/2014 दिनाँक 26.3.2014 द्वारा भी वस्तुसिंिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने बारे अनुरोध किया गया है परन्तु इस सन्दर्भ में महाविद्यालय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतः ₹232450 की प्रतिपूर्ति वसूली उचित स्त्रोत से करके मिश्रित निधि में जमा करवानी सुनिश्चित की जाए।

11 मिश्रित निधि से ₹68708/– का अनियमित प्रकार से व्यय करनाः–

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अध्यादेश 42.2 के अन्तर्गत जारी दिशा निर्देशों के अनुसार मिश्रित निधि में निम्नानुसार किया गया ₹68708 का व्यय इस निधि पर उचित प्रभार नहीं है। इस बारे प्रधानाचार्य को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 51/2014 दिनाँक 25.3.2014 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु तथा वाँछित सूचना उपलब्ध करवाने बारे अनुरोध किया गया परन्तु प्रधानाचार्य द्वारा कोई भी सूचना अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई। अतः ₹68708 की वसूली उचित स्त्रोत से करके मिश्रित निधि में जमा करवाई जाए।

निधि का नाम	वा0सं0	मास	विवरण	मात्रा	दर	राशि
मिश्रित निधि	38	8/08	चाक – पेटी	30	40	1200
	43	8/08	टोनर	1	2200	2200
	44	8/08	HPTR, TR, ACR From	–	–	422
	61	10/08	Ordinance Vol-I & II	–	–	730
	78	12/09	हीटर For office use	2	480	960
	84	12/09	कुशन	5	190	950
			फोम	5	195	975
			कपड़ा	–	–	985
			(सोफा कपड़ा – स्टाफ रूम	–	–	975

		के लिए क्रय किया गया)			
85	12/09	रिपेयर सोफा सैट स्टाफ रूम	–	–	4200
26	7/10	कम्पयूटर मुरम्मत	–	–	750
67	10/10	सी0सी0एस0 पैन्शन	–	–	285
84	1/11	Director NAAC	–	–	2000
45	9/11	एच0पी0यू0 रजिस्ट्रेशन स्पोर्टस, YWF/HHF	–	–	39091
58	11/11	Preparation & uploading fees paid to Sh. Sanjeev Sawhany	–	–	3900
65	12/11	Absentee Challan	–	–	3640
20	7/12	उपस्थिति पंजिका	–	–	2500
21	7/12	चरित्र प्रमाण पत्र	–	–	750
24	8/12	रजिस्ट्रेशन फार्म	–	–	1000
65	2/13	टी0डी0एस0 रिटर्न	–	–	1195
				योग	**68708**

12 मिश्रित निधि से बरसर को ₹7250/– का अधिक भुगतान करनाः–

महाविद्यालय द्वारा मिश्रित निधि से निम्नानुसार बरसर को भत्ते के रूप में ₹7250/– का अधिक भुगतान किया गया। इस बारे प्रधानाचार्य को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 52/2014 दिनाँक 25.3.2014 द्वारा भी अधिक भुगतान की गई राशि को वापिस मिश्रित निधि में जमा करवाने बारे अनुरोध किया गया परन्तु इन सन्दर्भ में महाविद्यालय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतः अधिक भुगतान की गई ₹7250/– की वसूली उचित स्त्रोत से करके वापिस मिश्रित निधि में जमा करवाई जाए।

बरसर का नाम	वा0सं0	मास	अवधि	छात्रों की संख्या	अदा की गई दर	अदा की गई राशि	देय दर	देय राशि	अधिक भुगतान की गई राशि
श्री आर0के0 सन्दल	68	1/09	6 मास	702	500	3000	250	1500	1500
श्री आर0के0 सन्दल	17	6/09	5 मास	702	500	2500	250	1250	1250
श्री एच0एल0 धीमान	6	5/10	6 मास	708	500	3000	250	1500	1500

श्री एच0एल0 धीमान	54	9/10	5 मास	681	500	2500	250	1250	1250
श्री अजय सहगल	2	4/11	7 मास	681	500	3500	250	1750	1750
								योग	**₹7250**

13 मिश्रित निधि से यात्रा भत्ते दावे के रूप में ₹3952/– का अनियमित भुगतान करना:–

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अध्यादेश 42.2 के अन्तर्गत जारी दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नानुसार कर्मचारियों को भुगतान की गई यात्रा भत्ते दावे की राशि इस निधि पर वैध प्रभार नहीं है। अतः ₹3952 की वसूली उचित स्त्रोत से करके यह राशि मिश्रित निधि में शीध्र जमा करवाई जाए।

वा0सं0	मास	कर्मचारी का नाम	उद्देश्य	राशि
70	11/09	श्री सुरेश कुमार लिपिक	To submit Pay Fixation cases at AG Office Shimla	2464
105	3/10	श्री सुरेश कुमार लिपिक	Visited Sub Treasury Amb	997
		श्री हरदेव सिंह	Visited Sub Treasury Amb	230
		श्री सुरेन्द्र कुमार	Visited Sub Treasury Amb	261
			योग	**₹3952**

4 प्रोस्पैक्टस की बिक्री की ₹60000/– को मिश्रित निधि में जमा न करवाने बारे:–

महाविद्यालय द्वारा वाऊचर संख्या 71, मास 1/2009 द्वारा मैसर्ज जे0एन0 प्रिटरर्ज से उनके बिल संख्या 510 दिनाँक 2.01.2009 के अन्तर्गत 1500 प्रोस्पैक्टस का मुद्रण प्रति प्रोस्पैक्टस ₹8.75 की दर से ₹13125 में करवाया गया है परन्तु इन प्रोस्पैक्टस की बिक्री से प्राप्त राशि मिश्रित निधि में जमा नहीं करवाई गई। इस बारे प्रधानाचार्य से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 63/2014 दिनाँक 29.03.2014 द्वारा भी अनुरोध किया गया है परन्तु इस सन्दर्भ में उनके द्वारा कोई कार्रवई नहीं की गई। अतः 1500 प्रोस्पैक्टस की बिक्री की ₹40 प्रति प्रोस्पैक्टस की दर से कुल ₹60000 की उचित स्त्रोत से वसूली करके मिश्रित निधि में जमा करवाई जाए क्योंकि अन्य वर्षों में प्रोस्पैक्टस की बिक्री की ₹40 प्रति प्रोस्पैक्टस की दर से छात्रों से वसूल करके मिश्रिम निधि में जमा करवाई गई है।

15 छात्रों को जारी करने के लिए मुद्रित करवाए गए पहचान पत्रों की भण्डार प्रविष्टि न करना तथा पहचान पत्रों को छात्रों को जारी करने सम्बन्धी अभिलेख तैयार न करना:–

वाऊचर संख्या 70 मास 1/2009 द्वारा मैसर्ज जे एन प्रिन्टर्ज दौलतपुर चौंक से उनके बिल संख्या 511 दिनाँक 02.01.2009 के अन्तर्गत 1500 लाईब्रेरी के पहचान पत्रों का मुद्रण ₹9.25

प्रति पहचान पत्र की दर से ₹13875 में करवाया गया। इन पहचान पत्रों की भण्डार में प्रविष्टि नहीं की गई और न ही इन्हें छात्रों को जारी करने सम्बन्धित सूची अंकेक्षण में उपलब्ध करवाई गई। अतः वाँछित अभिलेख अविलम्ब तैयार किए जाए अन्यथा ₹13875 की वसूली उचित स्त्रोत से करके यह राशि मिश्रित निधि में जमा करवाई जाए।

16 दूरभाष के बिल/रसीद प्रस्तुत न करनाः–

वाऊचर संख्या 72, मास 1/2009 के अन्तर्गत दूरभाष के बिल की ₹1005 का भुगतान किया गया है परन्तु दूरभाष का मूल बिल तथा रसीद अभिलेख में उपलब्ध न थे जिन्हें आगामी अंकेक्षण में उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

17 स्टेंशनरी की मदों की भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टियाँ न करनाः–

वाऊचर संख्या 98, मास 3/2011 के अन्तर्गत मैसर्ज ज्योति पुस्तक भण्डार दौलतपुर से उनके कैश मैमों संख्या 698 दिनाँक 14.12.2010 के अन्तर्गत ₹800 की स्टेशनरी की मदें क्रय की गई है जिन्हें भण्डार रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है। अतः वाँछित कार्रवाई करके अनुपालना से इस विभाग को शीध्र अवगत करवाया जाए।

18 मैगजीन निधि से ₹71704 का अधिक भुगतान करनाः–

नियमानुसार महाविद्यालय में नियमित रूप में शिक्षा ग्रहण कर रहें छात्रों के लिए मैगजीन छपवाकर वितरित करनी अपेक्षित होती है तथा मैगजीन की छपवाई की दर अधिकतम उतनी ही होनी चाहिए जिस दर से छात्रों से मैगजीन निधि की वसूली गई है। परन्तु राजकीय महाविद्यालय दौलतपुर चौंक द्वारा छपवाई गई मैगजीन से सम्बन्धित भुगतान से सम्बन्धित भुगतान वाऊचरों की जाँच करने पर पाया गया कि "स्वयं वित्तीय प्रबन्धन" के अधीन चलाई गई कक्षाओं के छात्रों को भी मैगजीन जारी की गई तथा वर्ष 2009–10 में मैगजीन का भुगतान प्राप्त राशि से अधिक दर पर किया गया। परिणामस्वरूप महाविद्यालय द्वारा **परिशिष्ट "च"** पर दिए गए विवरण के अनुसार ₹71704/– का अनियमित रूप से अधिक भुगतान किया गया। इस अनियमित भुगतान को वापिस निधि में जमा करवाने बारे प्रधानाचायें से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 59/2014 दिनाँक 26.03.2014 द्वारा अनुरोध भी किया गया है परन्तु महाविद्यालय द्वारा इस सन्दर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की है। अतः ₹71704 की वसूली उचित स्त्रोत से करके मैगजीन निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में मैगजीन की छपवाई पर भी नियुमानुसार ही भुगतान किया जाए तथा छात्रों को मैगजीन का वितरण भी नियमानुसार ही किया जाए।

19 पुस्तकालय प्रतिभूति निधि से ₹110862 का अनियमित भुगतान करना:–

निदेशक शिक्षा (उच्चत्तर) हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या ई0डी0एन0–एच (8) बी (4) 28/08 बजट लाईब्रेरी दिनाँक 26.03.2009 के अन्तर्गत जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कालातीत हो चुकी पुस्तकालय प्रतिभूति निधि से फर्नीचर किताबों इत्यादि का क्रय किया जा सकता है। जाँच में पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा पुस्तकालय प्रतिभूति की कालातीत हो चुकी सूची/विवरण तैयार नहीं किया गया परन्तु फिर भी महाविद्यालय द्वारा निम्नानुसार मदों का क्रय करने के लिए पुस्तकालय प्रतिभूति निधि से ₹110862 का भुगतान किया गया है जोकि उक्त निधि पर वैध प्रभार नहीं है। इस बारे में वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के लिए प्रधानाचार्य से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 60/2014 दिनाँक 27.3.2014 द्वारा भी अनुरोध किया गया है परन्तु इस सन्दर्भ में उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अतः कालातीत हो चुकी पुस्तकालय प्रतिभूति की वर्णित सूची/विवरण तैयार करके इस व्यय को न्यायोचित ठहराया जाए अथवा अनियमित रूप से व्यय की गई ₹110862/– की वसूली उचित स्त्रोत से करके राशि निधि में जमा करवाई जाए।

वा0सं0–मास	विवरण	मात्रा	दर	राशि	टिप्पणी
77–11/10	पुस्तकें	–	–	1403	बी0बी0ए0, बी0सी0ए0 कक्षाएँ जोकि
78–11/10	पुस्तकें	–	–	2187	स्वयं वित्तीय प्रबन्धन के अधीन चलाई
					जा रही है के लिए खरीदी गई।
81–3/11	आफिस चेयर	50	630	31500	
			(बिक्रीकर)	1575	
82–3/11	पुस्तकालय मेज	12	6000	72000	
13–10/11	पुस्तकें	–	–	500	
14–11/11	पुस्तकें	–	–	360	
15–11/11	इन्कमटैक्स फार्म	–	–	80	वैध प्रभार नहीं है।
8–8/12	अखबार	–	–	759	
12–3/13	स्टेशनरी	–	–	498	
			योग	**₹110862**	

20 गृह परीक्षा निधि से ₹37225 का अनियमित भुगतान:–

नियमानुसार महाविद्यालय द्वारा निधि में क्रय की गई उत्तर पुस्तिकाओं/प्रश्न पत्रों को महाविद्यालय में नियमित रूप में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को ही परीक्षा के दौरान जारी किया जा सकता है। परन्तु गृह परीक्षा निधि के भुगतान वाऊचरों की जाँच करने पर पाया गया कि गृह

परीक्षा निधि से क्रय की गई उत्तर पुस्तिकाओं तथा प्रश्न पत्रों को "स्वयं वित्तीय प्रबन्धन" के अधीन चलाई जा रही कक्षाओं के छात्रों को भी जारी किया गया था जोकि अनुचित है। अतः निम्नानुसार उत्तरपुस्तिकाओं तथा प्रश्न पत्रों जोकि "स्वयं वित्तीय प्रबन्ध" के छात्रों को जारी की गई है से सम्बन्धित ₹37255/– की वसूली उचित स्त्रोत से करके राशि निधि में जमा करवाई जाए।

वाऊचर संख्या	मास	विवरण	मात्रा	दर	राशि
14	12/2011	उत्तरपुस्तिका	4109	3.25	13354
10	11/2012	उत्तरपुस्तिका	1227	3.60	4417
12	12/2012	प्रश्न पत्र	–	–	18904
13	12/2012	प्रश्न पत्र	–	–	550
				योग	**₹37225**

21 विभिन्न निधियों से ₹85868/– का अनियमित व्यय करनाः–

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अध्यादेश 42.2 के अनुसार विभिन्न निधियों से निम्नानुसार व्यय की गई ₹85868 सम्बधित निधियों पर वैध प्रभार नहीं हैं। इस बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने बारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 56/2014 दिनाँक 26.3.2014 द्वारा अनुरोध किया गया परन्तु उनके द्वारा इस सन्दर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतः ₹85868/– की वसूली उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित निधियों में जमा करवाई जाए।

क्र0सं0	निधि का नाम	राशि	परिशिष्ट
1	खेलकूद निधि	55674	(छ)
2	अनुपस्थिति दण्ड निधि	21137	(ज)
3	रोबर एण्ड रैन्जर निधि	2928	(झ)
4	एन0सी0सी0 निधि	6129	(ञ)
	योग	**₹85868**	

22 "Boys Funds" से ₹1021772/– का अनियमित रूप से व्यय करना तथा ""Boys Funds" से किए गए व्यय से सम्बन्धित भुगतान वाऊचर/रोकड़ बही इत्यादि उपलब्ध न करनाः–

(i) हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अध्यादेश 42.2 के अनुसार "Boys Funds" से निमनविवरणानुसार किया गया ₹1021772/– का व्यय इस निधि पर वैध प्रभार नहीं है क्योंकि चर्चा में बताया गया कि यह भुगतान "स्वयं वित्तीय प्रबन्धन" के अधीन चलाए गए कक्षाओं के

प्राध्यापकों के वेतन हेतु किया गया है। अतः इस बारे विभागीय स्तर पर जाँच की जाए तथा अनुचित रूप से किए गए व्यय की उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

अवधि	भुगतान राशि
14.9.2006 से 31.3.2007	312054
2007–08	659718
2008–09	50000

(ii) इसके अतिरिक्त अंकेक्षण में यह भी पाया गया कि राजकीय महाविद्यालय दौलतपुर चौंक द्वारा वर्ष 2006–07 में छात्रों से वसूली गई "Campus Development Fund" के अतिरिक्त अन्य समस्त निधियों का रख रखाव "Boys Funds" निधि में किया गया है तथा इन निधियों में व्यय भी किया गया है परन्तु व्यय के समर्थन में भुगतान वाऊचर, रोकड़ बही तथा अन्य वाँछित अभिलेख अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाए गए। इस बारे अनुभाग अधिकारी के आडिट मैमों संख्या 62/2014 दिनाँक 27.3.2014 द्वारा भी प्रधानाचार्य से समस्त अभिलेख जाँच हेतु उपलब्ध करवाने बारे अनुरोध किया गया परन्तु इस सन्दर्भ में महाविद्यालय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं गई। अतः इस सन्दर्भ में भी अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए।

23 रोकड़ बही सत्यापित न करने बारेः–

नियमानुसार रोकड़ बही की प्रविष्टियों को प्रतिदिन प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित होता है, परन्तु राजकीय महाविद्यालय दौलतपुर चौंक की समस्त निधियों की अवधि 2008–09 की रोकड़ बहियाँ प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित नहीं की गई है जिसे प्रधानाचार्य से सत्यापित करवाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

24 भण्डार रजिस्टर का रख रखाव नियमानुसार न करनाः–

नियमानुसार निधियों से क्रय की गई वस्तुओं को उपभोज्य एवं अनुपभोज्य रजिस्टरो में अलग–अलग खाते तैयार करके दर्ज किया जाना अपेक्षित था परन्तु जाँच में पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा एक ही पन्ने पर विभिन्न वस्तुओं की स्टॉक प्रविष्टियाँ की गई, जोकि अनुचित है। अतः प्रत्येक मद के अलग–अलग खाते तैयार किए जाए तथा पूर्व रजिस्टरों से भी सभी मदों को उनके खातों में निधिवार स्थानान्तरित करके बकाया मात्रा दर्शाई जाए तथा की गई कार्रवाई का सत्यापन आगामी अंकेक्षण में करवाया जाए।

25 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करनाः—

नियमानुसार भण्डार में पड़ी वस्तुओं का नियमित रूप में वर्ष में कम से कम एक बार सत्यापन करना अपेक्षित होता है परन्तु जाँच में पाया गया कि सम्मिश्रित एवं अन्य निधियों से क्रय की गई भण्डार की वस्तुओं का प्रत्यक्ष सत्यापन्न सक्षम अधिकारी द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक नहीं किया गया जोकि अनियमित है। अतः प्रत्यक्ष सत्यापन करके unserviceable वस्तुओं का निपटारा तदानुसार आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए किया जाए।

26 लघु आपति विवरणिकाः— इसे पृथक से जारी नहीं किया गया क्योंकि समस्त लघु आपत्तियों का निपटारा स्थल पर ही कर लिया गया है।

27 निष्कर्षः— निधियों की रोकड़ बही का रख रखाव विहित प्रपत्र पर नहीं किया गया है तथा महाविद्यालय का प्रबन्धन सरकारी नियन्त्रण में आने पर भी निधियों का हस्तांतरण नियमानुसार नहीं किया गया है। महाविद्यालय द्वारा निधियों की वसूली निर्धारित दर पर नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त निधियों से अनियमित/अनुचित रूप से व्यय किया गया है तथा उक्त के अतिरिक्त महाविद्यालय के "Boys Fund तथा "Campus Development fund" की विभागीय स्तर पर जाँच करने की आवश्यकता है क्योंकि इनके भुगतान वाऊचरों इत्यादि को अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाया गया।

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश,शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्या : XI(V) फिन (एल0ए0) 120/2014 खण्ड—1—5406—5409 दिनांक, 6.9.14 शिमला—171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :—

पंजीकृत 1. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, दौलतपुर चौंक, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजें ।

2 निदेशक, शिक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला—171001.

3 उप निदेशक शिक्षा जिला ऊना हि0प्र0

4 श्री जितेन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी द्वारा..

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश,शिमला—171009.